

:: आदेश ::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017 दिनांक 06 फरवरी, 2018 के प्राविधानों के अर्न्तगत गठित समिति की बैठक उपरान्त दी गयी संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की परिधि में नहीं आते है। इस कारण वर्ष 2018-19 में स्थानान्तरण नहीं किये जा रहें है। तदनुसार जनपद की बेवसाइट में अपलोड किया जायें।

(डा० नीरज खैरवाल)
जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।


कार्यालय जिलाधिकारी उधमसिंहनगर।

पत्र संख्या- 3349 /सात-03 /2018

दिनांक 12 जून, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- आयुक्त, कुमायें मण्डल, नैनीताल।
- 3- अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/(न०/प्रशा०) उधमसिंहनगर।
- 4- समस्त उपजिलाधिकारी जनपद उधमसिंहनगर।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर।
- 6- समस्त तहसीलदार जनपद उधमसिंहनगर।
- 7- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उधमसिंहनगर को इस आशय से कि उक्त सूचना जनपद की बेवसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 8- समस्त उपकोषाधिकारी, जनपद उधमसिंहनगर।


जिलाधिकारी
उधमसिंहनगर।